CAMP/BENCH REPORT

PALAMU, JHARKHAND

19th July, 2019

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

NEW DELHI

Working Report

INTRODUCTION

The Commission conducted its Camp in Palamu District which is situated in Jharkhand. The programme was organised on 19th July 2019. The Camp consisted of the Smt. Pragna Parande, Honorable Member of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) along with Smt. Santanu Kumar Agrahari, Deputy Commissioner, Shri. Ajay Linda Superintendent of Police. The Camp at Palamu District received an overwhelming response from various stakeholders involved in making this programme a success.

The key highlights of the National Bench were:-

- The Camp received 708 complaints from various districts and passed orders on 114 complaints on the sameday.
- The Camp received complaints from 3 districts present during the Camp- Palamu, Garhwa, Latehar.
- The Nodal Officers from all the three districts participated and provided their valuable support to the National Bench.
- The respective NGO's from various districts helped in mobilizing people on the day of the sitting of the bench.
- However, the representation of the NGO's during the proceeding was not up to the mark. Only few NGO's volunteered in this endeavour and brought the complaints and the complainants before the bench.

BEFORE THE SITTING OF THE CAMP

Non Governmental Organisation (NGO) CONSULTATION MEET

Before the sitting of the Camp, National Commission for Protection of Child Rights held a consultation meeting with the NGO's on 18th July. Smt. Pragna Parande, Member, NCPCR, Nodal Officer , Dr. Madhulika Sharma Advisor (Education), NCPCR, Shri. Rajnikant, Senior Consultant, NCPCR, Shri. Kapil Sharma, Consultant and Ms. Mahima Lal Consultant chaired the consultation meeting. In that session, Smt. Pragna Parande informed the respected NGO's about the roles and responsibilities of NCPCR and the objective of conducting the National Camp. She also informed the NGO's about their responsibility in this whole process and requested them to bring complaints related to child rights violation on the day of the sitting of the bench from their districts.

ON THE DAY OF CAMP

The Commission conducted its Camp in Palamu District in Jharkhand on 19th July 2019. Smt Pragna Parande, Honorable Member of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) along with Dr. Santanu Kumar Agrahari, Deputy Commissioner, Shri. Ajay Linda Superintendent of Police constituted the Camp. The Commission received 708 complaints, out of which 114 cases were heard by the Camp. The details of the complaints received by the bench district wise are given below:-

S. No.	Name of the Districts	Total Complaints
1	Palamu	663
2	Latehar	18
3	Garhwa	27
	Total	708

Apart from Individual complainants, several NGO's, Childline and District Child Protection Officers from three different districts Palamu, Latehar and Garhwa presented the cases of child rights violation to the Camp. The complainants representing different institutes or individuals helped the commission in reaching out to the children who could not present their cases on the day of the sitting of the Camp. The complaints were related to the issue of children with disabilities, Scholarships related with financial assistance, Admissions in different schools, Proper Education, Closing of Mid Day Meal etc in Palamu Camp.

3 NGO's brought complaints before and During the Bench.

NGO's Participation in the CAMP		
S.No.	**NAME OF THE INSTITUTE**	**NATURE OF COMPLAINT**
1.	Nai Dishayein (नईदिशाएँ)	• Issues related to financial crisis and needs supports in Education/Admission • Closing of Mid Day Meal in the School • Physical Violence in School • Children with Special needs (Disability) requires financial assistance/ certificate etc. • Child needs Pension with regards to disability.
2.	Child line NGO	• Needs admission in Schools • No school in the area • Needs Scholarship for Studies
3.	Vedic Society	• Need to construct Anganwadi in the area
4.	CWC	• Cases of Rape Victims, FIR not registered and Compensation not given yet.

Area Wise (Under CPCR Act, 2005)

The same complaints were segregated based on the 6 areas that comes under section 3 of CPCR Act, 2005. The highest number of cases, that is, 545 were registered under Juvenile Justice, 99 cases were registered under Education, 10 under POCSO, 09 cases under Child Labour, 44 under Child Health and one case under Child Psychology category which requires a holistic approach.

S.No.	Division	No. of Complaints
1	Juvenile Justice	545
2	Education	99
3	POCSO	10
4	Child Labour	9
5	Child Health	44
6	Child Psychology	1
	Total	708

DISCLAIMER: This data is the initial data as per the day of the Camp/ Bench

COMPLAINT ANALYSIS

Juvenile Justice

The bench received 545 complaints on the day of the sitting of the Camp. The complaints are further divided into sections:-

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Cases related to Need and Care of children or Financial/ Educational Assistance	422
2	Cases pertaining to Children wants to continue education in the respective home / hostel	14
3	Cases of compensation & sponsorship for children	26
4	Cases related to Foster Care	24
5	Cases related to issuance Sukanya Yojna (Specific to State Scheme) or Other Scholarship	39
6	Cases related to Kidnapping / Missing	4
7	Cases related to Child marriage	4
8	Cases related to Physical Violence/ Beating	8
9	Cases related to Murder	2
10	Cases related to keeping Juvenile in the Jail	2

	Total	**545**

Education

The bench received **99** complaints on the day of the sitting of the Camp. The complaints are further divided into sections:-

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Cases related to Scholarship of Children	61
2	Cases related to physical violence / abuse/ Work in the School	3
3	Cases related admission in the school to the children/ children with special needs	17
4	Cases related to Denied Admission	2
5	Cases related to Closing of or No Mid day meal given.	5
6	Cases related Lack of Infrastructural Facilities such as no toilet/ walls/ boundary	4
7	Cases related to School taking money in the name of issuing certificate	2
8	Cases related Polluted area/ inappropriate shops influencing children	2
9	Cases related to improper Education in the School	3
	Total	**99**

HEALTH

The bench received **44** complaints on the day of the sitting of the Camp. The complaints are further divided into sections:-

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Cases related to Pension related to Disability	11

2	Cases related to issuing of Disability Certificate	8
3	Cases related financial assistance for children with special needs	7
4	Cases related to Treatment for children with Special needs	9
5	Cases related to requirement of Anganwadi in the premises or other facilities.	9
	Total	**44**

Child Labour

The bench received **09** complaints on the day of the sitting of the Camp. The complaints are further divided into sections:-

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Cases related to involving or forcing children in the domestic help/ labour	06
2	Cases related to not giving compensation to the Child Labour	03
	Total	**09**

POCSO (Protection of Children from Sexual Offences)

Total 10 Cases of POCSO were registered with 3 cases of Rape/ abuse of children with no compensation given. Remaining 6 cases of Abuses/ Eve teasing were registered with one case specific to given poison to the child.

Child Psychology

One complaint pertaining to the Child Psychology was received and registered in the camp.

Complaint Analysis According to NITI AAYOG INDICATORS

The National bench of NCPCR is being conducted in those conducted in those districts which are declared 'aspirational' by NITI Aayog. The Niti Aayog analysed these districts based on 49 indicators segregated in five sectors- Health, Education, Agriculture & Water Resources, Financial Inclusion and Basic Infrastructure. Since NCPCR has a mandate to take complaints in the matters related to child rights violations. Therefore, the commission has placed its focus on three key sectors- Education & Nutrition Focusing on the Facilities provided to children.

EDUCATION

The table given below focuses on the indicators of Education developed by Niti Aayog and the complaints received in the Camp. It indicates that how these indicators align with the complaints.

S.No	Indicator	Complaints received
1	**Transition Rate Primary to Upper Primary**	**Total 5 Complaints relatedto closing of Mid Day meal influencing Female literacy rate.**
2	**Transition Rate Primary to Secondary Level**	
3	**Total Access : Percentage Schools with functional girls toilets**	**Total 04 complaints registered related to Lack of infrastructural issues such as No toilet/ walls etc.**
4	**Learning Outcomes** **1. Mathematics performance in Class 3** **2. Language Performance in Class3** **3. Mathematics performance in Class 5** **4. Language Performance in Class5** **5. Mathematics performance in Class 8** **6. Language Performance in Class8**	**Total 03 complaints related to improper education in the school influencing learning Outcome.**
5	**Female Literacy Rate (15+ Age group)**	**Nil**
6	**Percentage of Schools with functional drinking water facility**	**Nil**
7	**Percentage of Schools with functional electricity at Secondary level**	**Nil**
8	**Percentage of elementary schools complying with RTE specified Pupil Teacher Ratio**	**Nil**
9	**Percentage of Schools providing textbooks to children within 1 month of start of the academic session**	**Nil**

HEALTH

The table given below focuses on the indicators of Health developed by Niti Aayog and the complaints received in the Camp. It indicates that how these indicators align with the complaints.

S.No.	Indicators	Complaints

1	**Portions of Anganwadis with own buildings**	**Total 05 complaints related to requirement of Anganwadi in the Premises or other facilities.**

CONCLUSION

The National Camp was conducted successfully in Palamu, Jharkhand. NCPCR registered and passed ordered on 114 complaints out of 708 received complaints. The Commission received an overwhelming support and participation from the NGO's. The Complaints pertaining to various issues related to Child Rights were registered. In the end process briefing was organised by the district administration and the commission informed the reporters about the number of cases registered by the Camp and other relevant information. The volunteers apart from the district Administration helped in running the proceedings of the Camp smoothly. The School Teachers, People from NGO/ Childline were there to help the complainant, from registering the complainant to helping them write the complaint etc.

ANNEXURES

S.NO	NAME OF THE NGO	CONTACT DETAILS	EMAIL ID
1.	Nayidishayen	7488247014	indubh711@gmail.com
2.	Vaidic society	8651265265	dashrathgupta1991@gmail.com
3.	Bhartiya Kisan Sangh (BSK)	9431114532	bksranchi@gmail.com

Pictures of the Camp

The Commission organised the meeting with several NGO's on 18th July, 2019 before the Camp to discuss about the objective of conducting the Camp. The commission informed the NGO's about their responsibility in this whole process and requested them to bring complaints related to child rights violation on the day of the sitting of the bench from their districts. The below given pictures are of that NGO's meeting before the Camp.

Meeting with NGO's at DC Office, Palamu

Getting familiar with the formats during the NGO meeting

The Commission organised the Camp on 19th of July, 2019 in Palamu. It was followed by meetings with NGO's and other district officials. The Camp consisted of the Smt. PragnaParande, Member of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) along with Smt. Santanu Kumar Agrahari, Deputy Commissioner, Shri. Ajay Linda Superintendent of Police. The Camp was followed by hearing the complaints from the three districts of Jharkhand named as Palamu, Latehaar and Garhwa brought by various individuals, NGO's and district authority and giving decision on theday.

Introduction and Preceding of the Camp

District Officials speaking on cases.

People from different places with their Complaints on Child Rights.

NGO's describing the complaints

ii) News Clips Published in Local Newspaper in Jharkhand

अधिवेशन को लेकर डीसी ने अधिकारियों संग की बैठक कर दिए निर्देश, जिला प्रशासन ने की तैयारी

बाल संरक्षण आयोग का अधिवेशन 19 को

मेदिनीनगर | संवाददाता

उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली का पलामू में 19 जुलाई को मेदिनीनगर के टाउन हॉल में तय अधिवेशन को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिवेशन को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी कार्यालय, पंचायत सचिवालयों, विद्यालय, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में संबंधित सूचना लगाने, अधिवेशन की व्यापक तैयारी करने, प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों का भी सहारा लेने आदि निर्देश दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि बाल संरक्षण को लेकर सभी विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। एनसीपीसीआर की टीम 18 जुलाई को पलामू पहुंचेगी।

नजारत उप-समाहर्ता को टीम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश अधिनस्थ अधिकारियों को दिया। उपायुक्त और एसपी ने पोक्सो एक्ट को लेकर दर्ज मामले और उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। पाया गया कि 2018 में 57 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 52 मामलों में चार्जशीट किया जा चुका है। वहीं पांच मामलों में चार्जशीट करने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2019 में 35 मामलों में 18 मामलों में चार्जशीट किया गया है। 17 मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम को रोकने के लिए उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं एसपी ने सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की बातें कही। श्रम अधीक्षक को कहा गया कि चार दिनों तक होटल, फुटपाथ, गैरेज आदि स्थानों में व्यापक अभियान चलाएं और अपेक्षित कार्रवाई करें।

शून्य ड्रॉप आउट तय करने का निर्देश: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए डीइओ और डीएसई को बच्चों का नामांकन स्कूलों में तय कराने और संबंधित स्कूलों के पोषक क्षेत्र में नामांकन अभियान चलाकर शून्य ड्रॉप आउट तय करने का निर्देश दिया।

आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं फीस का प्रदर्शन करने संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 19 जुलाई के पूर्व उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में डीडीसी बिंदु माधव प्रसाद सिंह, डीआरडीए निदेशक स्मिता टोप्पो, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार प्रसाद, सदर एसडीओ एनके गुप्ता, हुसैनाबाद एसडीओ कुंदन कुमार, डीडब्लूओ अरविंद कुमार मिश्रा, डीएसडब्लू शत्रुंजय कुमार, डीइओ सुशील कु जिला शिक्षा अधीक्षक मसूदी डीटीओ भगीरथ प्रसाद, श्रम अधी अभिषेक वर्मा, डीएसपी भोला सिंह, सहायक जनसंपर्क पदाधि बिजय कुमार ठाकुर, श्वेताभ विधिक सेवा प्राधिकार के प्रफुल्ल कुमार, किशोर न्याय सदस्य, चाईल्ड लाइन के सम बाल कल्याण समिति के सद सरकारी संस्थाओं के प्रतिनि मौजूद थे।

शुक्रवार को मेदिनीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक करते डीसी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि। • हिन्दुस्तान

तैयारी

- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली की टीम 18 को पहुंचेगी
- उपायुक्त ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

उपायुक्त ने दी हिदायत

- जुलाई के पूर्व ग्रामस्तर पर जेडब्लूसी का गठन सुनिश्चित करें।
- शिक्षा अधिकार के तहत स्कूलों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
- बाल संरक्षण को लेकर सीडब्ल्यूसी को सक्रिय रहने का दिया निर्देश।
- डीइओ व डीएसई को विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ गुरु गोष्ठी करने का निर्देश
- निजी विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक करने अधिवेशन में भागीदारी तय करने का निर्देश।

20 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें

उपायुक्त ने गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कल्याण पदाधिकारी को कल्याण विभाग संचालित विद्यालयों के छात्रावास में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बाद रेस्क्यू हुए बच्चों को रखवाकर शिक्षा देना तय करने का निर्देश दिया। वहीं सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, एसजेपीयू, डीसीपीयू के साथ किशोर न्याय अधिनियम पर विस्तृत समीक्षा की। डीसीपीयू अंतर्गत स्वीकृत 12 पदों के विरुद्ध आठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 20 दिनों में पूर्ण करने, सीएनसीपी के वैसे बालक तथा बालिका जो फॉर्मल स्कूल में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी सूची 17 जुलाई के पूर्व तैयार कर उपलब्ध कराने और स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने की शिकायतों की सुनवाई

बच्चों को न्याय दिलाना हम सबकी जवाबदेही : परांडे

डालटनगंज 19 जुलाई (थर्ड आई) : स्थानीय दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नयी दिल्ली ने पलामू जिला प्रशासन के सहयोग से शिकायत निवारण कैम्प का आयोजन किया। इसका उद्घाटन एन.सी.पी.सी.आर. की सदस्य प्रगना परांडे, पलामू जिला उपायुक्त डा. शांतनु कुमार अग्रहरि, पलामू पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, नगर निगम की मेयर अरूणा शंकर, जिप अध्यक्ष श्रीमती प्रभा देवी एवं डी.डी.सी. श्री बिंदु माधव सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संचालन शिक्षक परशुराम तिवारी ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित एन.सी.पी.सी.आर. की सदस्य प्रगना परांडे ने कहा कि आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप शिकायतों की सुनवाई की जायेगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि शिकायतों पर ईमानदारी से मंतव्य दें ताकि शिकायतों का शीघ्रता से निपटारा हो सके और बच्चों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बाल विकास, बाल संरक्षण तथा उनकी शिकायतों का समाधान करना है। इसमें सबका ईमानदार सहयोग आवश्यक है। इस अवसर पर उपायुक्त डा.अग्रहरि ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रशासन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आज जो भी शिकायतें आयेंगी, उस पर सुनवाई के उपरांत उपयुक्त व यथोचित कार्रवाई की जायेगी। कैम्प में काफी संख्या में शिकायतकर्ता बच्चों व उनके सहयोगी संस्थाओं के सदस्य जमे रहे। श्रीमती परांडे लगातार सुनवाई करती रहीं और लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जिला कल्याण, शिक्षा व पुलिस विभाग के सबसे अधिक मामले सामने आये। कार्यक्रम को सफल बनाने में एन. सी.पी.सी.आर. के राष्ट्रीय समन्वयक रजनीकांत, शिक्षा सलाहकार डा. मधुलिका शर्मा, कंसल्टेंट महिमालाल एवं पोक्सो कंसल्टेंट कपिल शर्मा ने समर्पित योगदान दिया। संबंधित अभिलेखों के संधारण में प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं सहायकों की सराहनीय भूमिका रही। समाचार लिखे जाने तक एक सौ छब्बीस मामलों की सुनवाई हो चुकी थी। इस दौरान सदर एस.डी.ओ. श्री एन.के.गुप्ता, डी.आर.डी.ए निदेशक स्मिता टोपनो, समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार, डी.ई.ओ. सुशील कुमार, डी.एस ई. मसूदी टुडू, जिला कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीता चौहान सहित पलामू, गढ़वा व लातेहार के विभिन्न विभागों के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

M/S UNITED EKTA ENGINEERING UDYOG PVT. LTD. | info@ucook.co.in | www.unitedektagroup.com | For Trade Enquiry contact: Sanny - 7808873829

बाल अधिकार से जुड़े 150 मामलों की सुनवाई

बाल आयोग से प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप हो रहा है कार्य : सदस्य, प्रमंडल के तीनों जिले से पहुंचे शिकायतकर्ता, दी जानकारी

दिल्ली में बैठ कर नहीं, समस्या के समाधान के लिए जाना होगा धरातल पर

सुनवाई में हाथ बांधकर पहुंचा नाबालिग, सदस्य ने जताई नाराजगी

जीएलए कॉलेज के प्राध्यापक से मारपीट मामले में रिपोर्ट तलब

संगिनी

एक नजर में

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या

सेवा सदन के निकट रेलवे यात्रियों को मिलेगा 15 रुपये में भोजन

M/S UNITED EKTA ENGINEERING UDYOG PVT. LTD. | info@ucook.co.in | www.unitedektagroup.com

मेदिनीनगर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बेंच अधिवेशन आयोजित, पलामू, गढ़वा व लातेहार से आईं शिकायतें

बेंच अधिवेशन में 160 से अधिक मामलों की सुनवाई

मेदिनीनगर | प्रतिनिधि

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) नई दिल्ली के बेंच अधिवेशन में 160 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई।

शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन मेदिनीनगर में आयोजित अधिवेशन में बाल अधिकार के अंतर्गत बाल सुरक्षा, बाल विकास से जुड़े कानून के क्रियान्वयन, शिक्षा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह आदि से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई की गई। एनसीपीसीआर की सदस्य प्रगना परांडे ने लोगों की शिकायतें सुनीं। साथ ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने और शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।

शुक्रवार को मेदिनीनगर में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करती एनसीपीसीआर सदस्य प्रगना परांडे। • हिन्दुस्तान

अधिवेशन का उद्घाटन एनसीपीसीआर की सदस्य प्रगना पराण्डे, डीसी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि, एसपी अजय लिंडा, डीडीसी बिंदु माधव प्रसाद सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार, मेयर अरूणा शंकर आदि ने किया। मौके पर प्रगना परांडे ने कहा कि एनसीपीसीआर जिला अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों से जुड़े मामलों का निष्पादन करा रहा है। बाल सुरक्षा और बच्चों को सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा वे मां की भूमिका में वह बच्चों के अधिकार को बखूबी समझती हैं। आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। डीसी ने कहा कि बच्चों के अधिकार को लेकर हम सभी को सोचना चाहिए। विदेशों में बच्चों से जुड़ी संस्थाएं अपने दायित्व और कर्तव्य को समझती है, यहां की संस्थाएं भी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करें। बेंच के समक्ष एक दिन के बच्चे को भी प्रस्तुत किया गया, एनसीपीसीआर की सदस्य ने उसे तत्काल इलाज और रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं 16 वर्षीय नाबालिग को परिजनों द्वारा हाथ बांधकर लाये जाने पर सदस्य ने उसका हाथ खुलवाया और उसके माता-पिता को काउंसलिंग कराने की बात कही। मामलों के निष्पादन में एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय समन्वय... रजनीकांत, शिक्षा सलाहकार ... मधुलिका शर्मा, कंसल्टेंट महिमा ... एवं पोक्सो कंसल्टेंट कपिल शर्मा ... सराहनीय भूमिका रही।

बाल अधिकार

- नगर भवन में बाल अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई
- एनसीपीसीआर की सदस्य प्रगना परांडे इसमें शामिल हुईं

मौके पर जो अधिकारी थे उपस्...

सदर एसडीओ एनके गुप्ता, डीआ... निदेशक सह एनसीपीसीआर की ... नोडल पदाधिकारी स्मिता टोप्पो, ... सर्जन डॉ जॉन एफ केनेडी, डीडी... शत्रुंजय कुमार, जिला शिक्षा पदा... सुशील कुमार, जिला शिक्षा अ... मसूदी टुडू, जिला कल्याण पदा... अरविंद कुमार मिश्रा, बाल ... परियोजना पदाधिकारी नीता चौ... अलावा पलामू प्रमंडल के पलामू और लातेहार जिले के विभिन्न ... के पदाधिकारी मौजूद थे। ... शिक्षक परशुराम तिवारी ने ...

...ध्यापकों में हाथापाई की प्राचार्य से मांगी रिपोर्ट

सजायाफ्ता गैंगस्टर सु...

पलामू भास्कर
रांची, शनिवार 20 जुलाई, 2019 | मेदिनीनगर • पांकी • छतरपुर | हुसैनाबाद • हरिहरगंज

बाल हिंसा पर शिकायत सुधार शिविर में कई मामलों का निष्पादन, बंद कमरे में हुई पोक्सो मामले की सुनवाई

पलामू, गढ़वा और लातेहार के 150 से अधिक मामलों की हुई सुनवाई

भास्कर न्यूज|मेदिनीनगर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का बाल हिंसा पर शिकायत सुधार शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। नगर भवन में आयोजित में पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार के डेढ़ सौ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रज्ञा पांडेय, पीएस मधुलिका शंकर, तकनीकी विशेषज्ञ रजनीकांत ने सभी मामलों को सुना और उसका निर्धारित समय के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसमें पोक्सो से संबंधित मामले की सुनवाई बंद कमरे में की गई। मौके पर उपायुक्त डॉ.शांतनु कुमार आग्रहरि, एसपी अजय लिंडा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी, मेयर अरुणा शंकर, उप विकास आयुक्त बिंदु माधव सिंह समेत पलामू, गढ़वा और लातेहार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इसके पहले शिकायत सुधार शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया।

अधिवेशन में बाल अधिकार के अंतर्गत बाल सुरक्षा, बाल विकास से जुड़े कानून के क्रियान्वयन, शिक्षा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह आदि से जुड़ी शिकायतें आईं। एनसीपीसीआर की सदस्य प्रगना परांडे ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी। साथ ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए एकशन शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया।

एनसीपीसीआर की सदस्य प्रगना परांडे ने मीडिया को बताया कि एनसीपीसीआर जिला अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों से जुड़े मामलों का निष्पादन करा रहा है। बाल सुरक्षा और बच्चों को सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा वे मां की भूमिका में बच्चों के अधिकार को बखूबी समझती हैं। आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बच्चों से संबंधित शिकायतों पर ईमानदारी से सुझाव देने की बात सभी पदाधिकारियों से कही, ताकि शिकायतों का निष्पादन में सुविधा हो सके और शीघ्र उसका निष्पादन कर बच्चों को न्याय दिया जा सके। शिविर में शामिल होने आईं महिलाओं व बच्चियों को कई तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ा। टाउन हॉल के बाहर उन्हें किसी तरह जमीन पर बैठकर समय बिताना पड़ा जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

केस संख्या एक : राजकीय उत्क्रमित मवि, कमलपुर के छात्र विक्की मेहता ने आयोग के समक्ष कहा कि विद्यालय में शिक्षक विलंब से आते हैं। शिक्षक पढ़ाने की बात करने पर मारते हैं। मध्याह्न भोजन में सप्ताह में एक दिन आधा अंडा मिलता है। इस पर आयोग ने डीएसई को एक सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर कार्रवाई करने व प्रतिवेदन आयोग को देने का निर्देश दिया।

केस संख्या दो : बाल गृह, मेदिनीनगर में रहने वाले बच्चों ने आयोग के समक्ष पठन-पाठन की सुविधा नहीं होने की बात कहते हुए आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने का आग्रह किया। इस पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए फरवरी में प्रवेश परीक्षा होती है। उसमें उत्तीर्ण होने पर ही नामांकन होता है।

केस संख्या तीन : गढ़वा जिला से पोक्सो से संबंधित 13 मामले आए। सभी में समान बात थी कि पोक्सो से संबंधित मामले में पुलिस पीड़िता का त्वरित इलाज नहीं कराती है। ज्यादातर मामले में एक दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे में पीड़िता को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इस पर गढ़वा के एसडीपीओ को पहले इलाज कराने, बाद मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने का थाना प्रभारी को निर्देश देने को कहा।

बच्चों के अधिकार के लिए सभी सोचें

डीसी डॉ शांतनु कुमार आग्रहरि ने कहा कि बच्चों के अधिकार को लेकर हम सभी को सोचना चाहिए। विदेशों में बच्चों से जुड़ी संस्थाएं अपने दायित्व और कर्तव्य को समझती हैं, यहां की संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर की बेंच का अधिवेशन पलामू में होना सम्मान की बात है।

सन्मार्ग | पलामू प्रमंडल | रांची, शनिवार, 20 जुलाई 2019
www.sanmarglive.com

एनसीपीसीआर के कैंप में निपटाये गए सवा सौ से अधिक मामले

बाल अधिकारों के संरक्षण को आयोग प्रतिबद्ध : परांडे

सचेत और जागरूक है पलामू प्रशासन : उपायुक्त

संवाददाता

मेदिनीनगर : राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा पलामू जिला प्रशासन के सहयोग से आज शहर के दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एनसीपीसीआर के सदस्य प्रगना परांडे, पलामू के डीसी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, जिप अध्यक्ष प्रभा देवी, नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, एवं डीडीसी बिन्दु माधव प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन शिक्षक परशुराम तिवारी ने किया। मौके पर एनसीपीसीआर की सदस्य श्रीमती परांडे ने कहा कि आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कैंप में सुनवाई की जायेगी। उन्होंने पदाधिकारियों से शिकायतों पर इमानदारी पूर्वक मंतव्य देने का आह्वान किया। कहा कि इससे शिकायतों का शीघ्रता से निपटारा हो सकेगा और बच्चों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर का लक्ष्य बाल विकास, बाल संरक्षण एवं उनकी शिकायतों का समाधान करना है। इसमें सबका इमानदार सहयोग आवश्यक है। उपायुक्त डॉ. अग्रहरि ने कहा कि पलामू जिला प्रशासन बाल अधिकारों के संरक्षण को प्रतिबद्ध है। आज के कैंप में जो भी शिकायतें आयेंगी उनपर सुनवाई के उपरांत उपयुक्त व यथोचित कार्रवाई की जायेगी। कैंप में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता बच्चे और उनके सहयोगी संस्थाओं के सदस्य पहुंचे थे, जिनकी शिकायतें लगातार श्रीमती परांडे सुन रही थी। इस दौरान जिला कल्याण, शिक्षा एवं पुलिस विभाग से जुड़े सर्वाधिक मामले सामने आये। समाचार लिखे जाने तक 160 मामलों की सुनवाई हो चुकी थी। इस कैंप में एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय समन्वयक रजनीकांत, शिक्षा सलाहकार डॉ. मधुलिका शर्मा, कंसल्टेंट महिमा लाल एवं पोक्सो कंसल्टेंअ कपिल शर्मा का सहयोग सराहनीय रहा। इस दौरान संबंधित अभिलेखों के संधारण में प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं सहायकों ने भी सराहनीय भूमिका निभायी। संचालन शिक्षक परशुराम तिवारी ने की। मौके पर सदर एसडीओ एनके गुप्ता, डीआरडीए निदेशक स्मिता टोप्पो, डीएसडब्ल्यूओ शत्रुंजय कुमार, डीइओ सुशील कुमार, डीएसई मसूदी टुडू, डीडब्ल्यूओ अरविंद कुमार मिश्रा, सीएस डा जॉन एफ केनेडी एवं सीडीपीओ नीता चौहान समेत पलामू, गढ़वा और लातेहार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।